राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/3311 दिनांकः– 31/03/2022

उप निदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
कोटा।

विषयः– कोटा संभाग में 69–ए का सर्वे पुनः करने हेतु।
संदर्भः– माननीय सलाहकार नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग जयपुर द्वारा बैठक दिनांक 23.03.2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में।

....

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय सलाहकार नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग जयपुर द्वारा ली गई बैठक दिनांक 23.03.2022 में कोटा प्रेक्षक श्री आर.डी.मीणा द्वारा आपके अधिनस्थ क्षेत्रों में धारा 69–ए के अन्तर्गत दिये जाने वाले पट्टो बाबत कराये गये सर्वे को अद्यतन करवाने का निवेदन किया गया था। कोटा प्रेक्षक के उक्त निवेदन के संबंध में माननीय सलाहकार महोदय द्वारा आपके क्षेत्राधिकार की निकायों में धारा 69–ए के तहत् किये गये सर्वे को पुनः स्वयं के पर्यवेक्षण में करवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि आपके क्षेत्राधिकार की निकायों में धारा 69–ए के तहत् दिये जाने वाले पट्टो के लिए स्वयं के पर्यवेक्षण में सर्वे में पूर्व में रही कमियों को दूर करते हुए पुनः सर्वे करवाया जाकर पालना रिपोर्ट हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवावे ताकि पालना रिपोर्ट सलाहकार महोदय को भिजवाई जा सके।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/3312–3317 दिनांक :– 31/03/2022
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, सलाहकार महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. श्री आर.डी. मीणा, प्रेक्षक कोटा संभाग।
5. संयुक्त निदेशक, आई.टी. अनुभाग निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(अनिल कौशिक)
सलाहकार एवं समन्वयक